

सार्वजनिक सूचना

क्रमांक/ई-गवर्नेन्स/2015/357

दमोह, दिनांक 23.12.2015

मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-1/2015/41-2 भोपाल, दिनांक 20.08.2015 अनुसार जिले में संचालित समस्त आधार पंजीयक के द्वारा स्थापित की गई स्टेशन वार (ऑपरेटर वार) प्राप्त कर पंजीयन जिला कलेक्टर कार्यालय दमोह में अनिवार्य रूप से कराया जाना है।

अतः दिनांक 28-12-15 तक समस्त जिले में संचालित आधार पंजीयक निम्न दिये प्रारूप में जानकारी अनिवार्य रूप से जिला ई-गवर्नेन्स समिति, कक्ष क्रमांक 60, कार्यालय कलेक्टर, दमोह में जमा कर पंजीयन करावें :-

EA का नाम —.....(SR/NSR)

राज्य स्तरीय प्रबंधक का नामफोन न. —————

जिला स्तरीय प्रबंधक का नाम.....फोन न.—————

क्र.	ऑपरेटर का नाम	सम्पर्क पता	फोन/मोबाईल न.	EA कोड	मशीन कोड	ई-मेल आईडी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

यदि जिले में किसी भी ऑपरेटर या व्यक्ति द्वारा जिला कार्यालय में पंजीयन के बिना आधार मशीन अनाधिकृत रूप से संचालित की जाती है तो उस की मशीन जब्त की जावेगी एवं शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त सूचना damoh.nic.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

(डॉ० श्रीनिवास शर्मा)
कलेक्टर
जिला-दमोह

पृ. क्रमांक/ई-गवर्नेन्स/2015/
प्रतिलिपि:-

दमोह, दिनांक 23.12.2015

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, दमोह की ओर प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड करें।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी, दमोह की ओर जिले के दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापित हेतु प्रेषित।
3. समस्त इनरोलमेंट एजेंसी
जिला, दमोह को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु |

कलेक्टर
जिला-दमोह